न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 33 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

हरखूदेवी पत्नी पदमाराम बनाम 1.आदूराम पुत्र खेमाराम वगै.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 34 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

हरखूदेवी पत्नी पदमाराम बनाम 1.आदूराम पुत्र खेमाराम वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 23.11.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी की गई। अपीलांट को केम्प कोर्ट के बारे में कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई इस कारण अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी तथा तहसीलदार शिव ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर कैम्प कोर्ट नागड़दा में दिनांक 22.06.2016 को पेश कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर सुने बिना ही दिनांक 22.06.2016 को दूसरे गांव कैम्प कोर्ट नागड़दा में अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया। वर्तमान में उतरदातागण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांट को जबरन बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा कहा कि हमने कोर्ट से काफी समय पूर्व निर्णय करवाकर भूमि का बंटवाड़ा करवा लिया है तथा अब मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार काबिज होगें, जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RLW 2006(1) Page 324
AIR 2005 SC Page 1158
DNJ 2009 SC Page 846
RRT 2021(1) Page 482
RRT 2008(2) Page 1406

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जबाव पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दिनांक 13.04.2018 को यानि तकरीबन 01 वर्ष 10 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलांट के पति पदमाराम दिनांक 25.05.2016 को कैम्प काश्मीर केम्प कोर्ट में उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने बाबत सहमति दी थी जिसका आदेशिका में अपीलांट के पति के हस्ताक्षर है। इस कारण अगली सुनवाई तारीख नागड़दा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने की पूर्ण जानकारी हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 अपीलांट अधिवक्ता एवं अपीलांट के पति श्री पदमाराम की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष 10 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर